



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 187 राँची, सोमवार,

27 मार्च, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

4 मार्च, 2023

संख्या-4/प्रोन्नति-03-01/2022 का. 1377--श्रीमती सुनीला खलखो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-134/20, गृह जिला राँची) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिसई, गुमला को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित दायर याचिका W.P.(PIL) No. 3594/2011 (बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य याचिकाएँ) के क्रम में CBI, AHD, Ranchi Case No. RC 06(A)/2012-AHD-R दर्ज रहने के फलस्वरूप सशर्त रूप से मूल कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800/- ग्रेड पे 5400/-) पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-09 से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान 15,600-39,100/- ग्रेड पे 6600/-) पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-11 में दिनांक 14.12.2022 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा उनके धारित पद को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है।

2. यह प्रोन्नति W.P.(S) No. 4357/2020 समीर कच्छप एवं अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य में तथा W.P.(S) No. 3792/2016 अमरेन्द्र सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी ।

3. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के आलोक में श्रीमती खलखो को प्रोन्नत पद का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ पदस्थापित पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव ।
